

**बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
आरटीआई-ऑनलाइन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

1. किस लोक प्राधिकरण में, मैं एक अनुरोध दायर कर सकता हूँ?

आवेदक, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से, (केवल दिल्ली सरकार विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरण) के लिए, एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2. मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन कैसे लिख सकता हूँ?

आवेदन का मूल पाठ, निर्धारित कॉलम में लिखा जा सकता है। वर्तमान में, आवेदन के पाठ केवल फार्म की निर्धारित कॉलम में 3000 अक्षर तक ही सीमित है। यदि एक आवेदन पत्र का मूल पाठ, 3000 से अधिक वर्ण हैं, यह "सहायक दस्तावेज" फार्म के कॉलम में एक पीडीएफ अनुलग्नक के रूप में अपलोड किया जा सकता है।

3. मैं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को सूचना का अधिकार नियम के अनुसार, किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आवेदक को आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र (जो कि समुचित सरकार द्वारा जारी किया गया हो) कि एक प्रति संलग्न करनी होगी।

गैर बीपीएल आवेदकों के मामले में, पहले पेज भरने के बाद, भुगतान-पेज (जिस पर आवेदक निर्धारित आरटीआई शुल्क के भुगतान के लिए) के बटन "भुगतान करें" पर क्लिक करने के लिए है, करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। आवेदक निम्नलिखित माध्यम से निर्धारित आरटीआई-शुल्क का भुगतान कर सकते हैं:

इंटरनेट बैंकिंग

4. क्या मुझे आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए, कोई रसीद मिलती है?

एक आरटीआई आवेदन पर एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी किया जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए उल्लेखित किया जा सकता है। यह अद्वितीय संख्या आवेदक को एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

आरटीआई-ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर आवेदन, संबंधित विभाग / सार्वजनिक प्राधिकरण के "नोडल अधिकारी" को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचेगा, "ना की," संबंधित विभाग / सार्वजनिक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को। नोडल अधिकारी आरटीआई आवेदन को संबंधित PIO को इलेक्ट्रॉनिक या कागज़ी प्रति के रूप में प्रसारित करेगा।

5. मेरे आवेदन का क्या होगा अगर मैं निर्धारित प्रपत्र में एक गलत विभाग और लोक प्राधिकरण का चयन करता हूँ?

यदि आरटीआई आवेदन विभाग / लोक प्राधिकरण , जिसे आवेदक द्वारा चुना गया है, से संबद्ध नहीं है, उस विभाग/लोक प्राधिकरण का "नोडल अधिकारी", आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित विभाग /लोक प्राधिकरण को (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत) स्थानांतरित करेगा।

6. क्या मुझे अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो) का भुगतान करने की आवश्यकता है, या इसके बारे में सूचित किया जाएगा?

यदि आवेदन संबद्ध अतिरिक्त शुल्क जैसे की प्रतिलिपि या निरीक्षण शुल्क और अतिरिक्त शुल्क जमा करना हो, नोडल अधिकारी ऐसे शुल्क के बारे में आवेदक को सूचित करेगा जो कि आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर "viewus" पर देखा जा सकता है। इस सन्दर्भ में आवेदक को ई-मेल द्वारा भी सूचित किया जा सकता है। तदुपरांत अपने आवेदन की पंजीकरण संख्या देने के उपरांत शुल्क जमा करा सकते हैं।

7. मैं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के साथ एक अपील कैसे दर्ज करूँ?

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के अपील दाखिल करने के लिये आवेदक को submit www.https://rtionline.delhi.gov.in/first appeal पर क्लिक करेंगे और उसमें निर्धारित प्रपत्र खुल जायेगा जिसके द्वारा अपीलकर्ता अपनी अपील भेज सकेगा मूल , आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या के सन्दर्भ के लिये लाया जा सकेगा।

आरटीआई-ऑनलाइन पर दाखिल की गयी अपील इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वतः ही सम्बद्ध नोडल अधिकारी को पहुंच जायगी, तदुपरान्त नोडल अधिकारी प्रथम अपील को प्रथम अपीलय अधिकारी को या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या डाक द्वारा प्रेषित कर देगा।

8. क्या मुझे एक अपील दाखिल करने के लिए भुगतान करने की जरूरत है? नहीं।

9. क्या मुझे आरटीआई-ऑनलाइन पोर्टल से एसएमएस मिलता है?

वैकल्पिक, एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक / अपीलार्थी द्वारा मोबाइल नंबर दिया जा सकता है।

10 मैं किससे संपर्क करू यदि मुझे पोर्टल से संबद्ध कोई जानकारी या सुझाव देने है?

इस पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सामान्य कार्यालय समय के दौरान (सभी कार्य दिवसों पर 0930-1800 बजे) 011-23392726, 011-23392421, संपर्क करें या rtisupport.delhi@nic पर ईमेल भेजें।